

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में
सी.एम.पी. संख्या 438/2019

1. विद्या देवी
2. प्रदीप कुमार
3. मनोज कुमार
4. रंजन कुमार
5. विकास कुमार
6. मदन कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य वित्त निगम, पटना
2. नियंत्रक कार्यालय, बिहार राज्य वित्त निगम, लालपुर, रांची, शाखा प्रबंधक के माध्यम से
3. शाखा कार्यालय, बिहार राज्य वित्त निगम, डाल्टनगंज शाखा प्रबंधक के माध्यम से...
प्रतिवादी

कोरम : माननीय श्री न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राजीव नंदन प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं की ओर से : श्री अशोक कुमार यादव, अधिवक्ता

3/03.09.2019 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव नंदन प्रसाद और प्रतिवादियों के
विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार यादव को सुना।

इस आवेदन में, याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 6108 /2007 की पुनर्बहाली के लिए प्रार्थना की है, जिसे जिसे 18.06.2019 को गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया था।

तत्काल आवेदन में दिए गए कारणों से संतुष्ट होने के बाद, प्रार्थना स्वीकार की जाती है और डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 6108 /2007 को उसकी मूल फ़ाइल में पुनर्बहाल किया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया.)

आर शेखर सीपी 2